13/13...

20-1-10

सक्षम आदेश दिनांक 12-1-2010 पारित द्वारा उप जिलाधिकारी श्री के.डी., [illegible] वाद सं० 35/09-10 धारा 145 [illegible] द्वारा [illegible] [illegible] [illegible] श्री के.डी., [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], आदेश दिनांक 12-1-2010 पारित द्वारा उप जिलाधिकारी श्री के.डी., [illegible] /

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] सक्षम आदेश दिनांक 12-1-2010 की [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

न्यायालय उप जिला अधिकारी/असिस्टेंट कलेक्टर प्रथम श्रेणी, बी०के०टी० लखनऊ।

एस०एस० एजूकेशनल ट्रस्ट बनाम उ० प्र० सरकार

वाद सं० 34/09–10

धारा 143 Z.A.L.R.Act

ग्राम – मामपुर बाना

परगना – महोना

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत वाद कार्यवाही प्रार्थी अनिल सिंह चेयरमैन एस०एस० एजूकेशनल ट्रस्ट के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है कि प्रार्थी भूमि गाटा सं० 491 रकबा 0.051 है० व 492 रकबा 0.025 है० व गाटा सं० 493 रकबा 0.063 है० व गाटा सं० 488 रकबा 0.190 है० व गाटा सं० 486/1 रकबा 0.038 है० व गाटा सं० 487/907 रकबा 0.038 है० व गाटा सं० 490 रकबा 0.584 है० स्थित ग्राम मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी०के०टी०, जिला लखनऊ की भूमि है तथा प्रार्थी उक्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील काश्तकार है। यह कि प्रार्थी के उक्त भूमि विद्यालय बनाने हेतु बाउन्ड्रीवाल व निर्मित कमरे बने हुए हैं तथा उक्त भूमि में काश्तकारी नहीं हो रही है। यह कि उक्त भूमि आवासीय एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु घोषित करते हुए उक्त भूमि गाटा संख्याओं को लगान मुक्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित प्रश्नगत भूमि गाटा संख्याओं को आवासीय एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु घोषित किये जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के साथ ले–आउट प्लान की प्रति भी दाखिल की गयी है।

उक्त प्रार्थनापत्र पर प्राविधानों के अन्तर्गत तहसीलदार बी०के०टी० से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार बी०के०टी० द्वारा अपनी आख्या में कहा गया है कि भूमि गाटा सं० 491 रकबा 0.051 है० व 492 रकबा 0.025 है० व गाटा सं० 493 रकबा 0.063 है० कुल 3 किता रकबा 0.139 है० मालगुजारी 4.00 रु० व गाटा सं० 488 रकबा 0.190 है० व गाटा सं० 486/1 रकबा 0.038 है० व गाटा सं० 487/907

रकबा 0.036 हे0 कुल 3 किता रकबा 0.284 हे0 मालगुजारी 9.65 रू0 व गाटा सं0 490 रकबा 0.584 हे0 मालगुजारी 20.06 रू0 कुल 7 किता हे0 0.867 हे0 मालगुजारी 33.71 रू0 स्थित ग्राम नामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जनपद लखनऊ की खतौनी के क्रमशः खाता सं0 177, 326, 113 पर एस0एस0एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा चेयरमैन अनिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुखराज सिंह निवासी मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जनपद लखनऊ हाल पता कार्यालय बी–17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उपरोक्त भूमि पर वर्तमान समय में कृषि सम्बन्धी कार्य नहीं किया जा रहा है। यह भूमि आवासीय/व्यवसायिक कार्य के लिए है, इसका प्रयोग शिक्षा सम्बन्धी कार्य में किया जाना है, स्थल पर शिक्षण सम्बन्धी भवन का निर्माण कराया जा चुका है, यह भूमि एस0एस0एजूकेशनल ट्रस्ट के नाम शिक्षण संस्था के लिए प्रस्तावित है, जिसको धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक घोषित किया जाना है तथा स्थल पर किसी तरह का विवाद नहीं है। उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कृषि कार्य जैसे कुक्कुट पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन या बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त भूमि का उपयोग आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजन में ही किया जायेगा, अन्य किसी प्रयोजन में प्रयुक्त नहीं किया जायेगा। अतः धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत आवासीय/व्यवसायिक उद्घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सेवा में प्रेषित। इस प्रकार संस्तुति सहित आख्या इस न्यायालय को प्रेषित की गयी।

उक्त आख्या प्राप्त होने के पश्चात प्रतिवादी लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सम्मन जारी किया गया। जो बाद तामील संलग्न पत्रावली है। सम्मन बाद तामील प्रतिवादी उ0प्र0 सरकार व लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी।

उक्त के अतिरिक्त श्री रामनाथ प्रभारी राजस्व निरीक्षक बी0के0टी0 का मौखिक साक्ष्य अंकित किया गया, उनके द्वारा अपने मौखिक साक्ष्य में कहा गया है कि गाटा

सं0 491 रकबा 0.051 हे0 व 492 रकबा 0.025 हे0 व गाटा सं0 493 रकबा 0.063 हे0 कुल 3 किता रकबा 0.139 हे0 मालगुजारी 4.00 रू0 व गाटा सं0 488 रकबा 0.190 हे0 व गाटा सं0 486/1 रकबा 0.038 हे0 व गाटा सं0 487/907 रकबा 0.036 हे0 कुल 3 किता रकबा 0.264 हे0 मालगुजारी 9.66 रू0 व गाटा सं0 490 रकबा 0.584 हे0 मालगुजारी 20.05 रू0 कुल 7 किता हे0 0.987 हे0 मालगुजारी 33.71 रू0 स्थित ग्राम मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जनपद लखनऊ की खतौनी के क्रमशः खाता सं0 177, 326, 113 पर एस0एस0एजूकेशनल ट्रस्ट द्वारा सेक्रेटरी अखिल कुमार सिंह पुत्र स्व0 सुरेन्द्र सिंह निवासी मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जनपद लखनऊ हाल पता कार्यालय बी–17 सेक्टर जी अलीगंज लखनऊ के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उपरोक्त भूमि नम्बरों पर कुल 0.584 हे0 पर बिल्डिंग निर्माण कार्य हो चुका है, शेष भूमि पर बाउन्ड्री निर्माण कार्य चल रहा है व शेष भूमि खेल के मैदान जो स्कूल के लिए है, प्रयोग में लायी जा रही है।

पत्रावली तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार बी0के0टी0 की आख्या का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बी0के0टी0 की आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गाटा सं0 491 रकबा 0.051 हे0 व 492 रकबा 0.025 हे0 व गाटा सं0 493 रकबा 0.063 हे0 व गाटा सं0 488 रकबा 0.190 हे0 व गाटा सं0 486/1 रकबा 0.038 हे0 व गाटा सं0 487/907 रकबा 0.036 हे0 व गाटा सं0 490 रकबा 0.584 हे0 स्थित ग्राम मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जिला लखनऊ पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का उपयोग कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में किया जा रहा है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की ओर से भी कोई आपत्ति नहीं दाखिल की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त गाटा सं0 491 रकबा 0.051 हे0 व 492 रकबा 0.025 हे0 व गाटा सं0 493 रकबा 0.063 हे0 व गाटा सं0 488 रकबा 0.190 हे0 व गाटा सं0 486/1 रकबा

0.036 हे0 व गाटा सं0 487/907 रकबा 0.036 हे0 व गाटा सं0 490 रकबा 0.584 हे0 स्थित ग्राम मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जिला लखनऊ को धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत प्रख्यापित किया जाना उचित एवं विधिसंगत है परन्तु भू उपयोगिता की विधि मान्यता के सम्बन्ध में लखनऊ महायोजना के उपबन्ध प्रभावी होंगे जिसका सम्बन्ध लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उ0प्र0 से है।

## आदेश

अतः ग्राम मामपुर बाना, परगना महोना, तहसील बी0के0टी0, जिला लखनऊ की भूमि गाटा सं0 491 रकबा 0.051 हे0 व 492 रकबा 0.025 हे0 व गाटा सं0 493 रकबा 0.063 हे0 व गाटा सं0 488 रकबा 0.190 हे0 व गाटा सं0 486/1 रकबा 0.036 हे0 व गाटा सं0 487/907 रकबा 0.036 हे0 व गाटा सं0 490 रकबा 0.584 हे0 कुल 7 किता रकबा 0.987 हे0 की मालगुजारी रु0 33.71 से मुक्त करते हुए प्रार्थी अनिल कुमार सिंह चेयरमैन एस0एस0एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा उक्त भूमि का कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, बागवानी आदि से भिन्न प्रयोजन में उपयोग किये जाने के कारण धारा 143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भविष्य में कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार बी0के0टी0 को खतौनी में तदनुसार प्रविष्टि करने हेतु प्रेषित हो तथा एक प्रति सम्बन्धित सबरजिस्ट्रार को जिला रजिस्ट्रार के माध्यम से इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे निबन्धित कर इस आशय का अनुलेख लिपिबद्ध करने के बाद निबन्धन का दिनांक व सिलसिलेवार रजिस्टर संख्या अपने हस्ताक्षर सहित प्रेषित करें। आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को इस आशय से

होगा कि यदि निर्णय कोई विधि सम्मत न हो तो नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर सकते हैं। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार गंगवार)
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब, लखनऊ

निर्णय आज दिनांक 27-01-10 को खुले न्यायालय में उद्घोषित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(पवन कुमार गंगवार)
उप जिलाधिकारी/असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रथम श्रेणी
बख्शी का तालाब, लखनऊ

प्रमाणित [illegible]